भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2573
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

दूध खरीद दर समितियाँ

2573. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

श्री संजय दिना पाटीलः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि डेयरी किसानों को, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, केवल 32 रुपये प्रति लीटर का औसत खरीद मूल्य मिलता है, जबकि उपभोक्ता 60 रुपये प्रति लीटर तक का भुगतान करते हैं, जो लगभग 87.5 प्रतिशत की असमानता को दर्शाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस असमानता के क्या कारण हैं, जिनमें मध्यस्थ लागतों का प्रभाव, दूध की गुणवत्ता परीक्षण में कथित गड़बड़ियाँ और निजी डेयरियों द्वारा अनियमित मूल्य निर्धारण शामिल है, जो कथित तौर पर देश में दूध खरीद का 74 प्रतिशत से अधिक निर्धारित करती हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में राज्यस्तरीय दूध खरीद दर समितियाँ, निजी कंपनियों पर प्रवर्तन-प्राधिकार की कमी के कारण उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं;

(घ) क्या सरकार का मिलावट के स्तर के आकलन के संबंध में अनिवार्य मासिक रिपोर्टिंग के लिए दूध विपणन और नियामक बोर्ड की स्थापना और दूध के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) जैसी व्यवस्था जैसे सुधार लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) दूध की खरीद और बिक्री कीमतों का विनियमन नहीं करता है। ये मूल्य सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उत्पादन लागत, डेयरी वस्तुओं ((कमोडिटी) (जैसे, सफेद मक्खन, स्किम्ड मिल्क पाउडर) के स्टॉक और मौजूदा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। हालाँकि, डीएएचडी, राज्य दुग्ध संघों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में दूध की स्थिति की नियमित निगरानी करता है। जून 2025 की दुग्ध स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 6% वसा और 9% वसा-रहित ठोस (SNF) युक्त दूध के लिए किसानों को दिया जाने वाला अखिल भारतीय औसत खरीद मूल्य लगभग 47.70 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि अखिल भारतीय औसत बिक्री मूल्य 65.04 रुपये प्रति लीटर था। इससे पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य का लगभग 73% किसानों को वापस किया जाता है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने समान संघटकों वाले दूध के लिए औसत खरीद मूल्य 49 रुपये प्रति किलोग्राम तथा औसत बिक्री मूल्य लगभग 70 रुपये प्रति लीटर बताया, जिससे पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य का लगभग 70% सीधे किसानों को लाभ पहुंचाता है।

(ख) दूध की खरीद और दूध की कीमत के संबंध में उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। दूध की गुणवत्ता के संबंध में, दूध और दूध उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दायरे में आते हैं और वे मिलावट रोकने के लिए प्रवर्तन संबंधी उपाय कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

******